क्रम संख्या–56

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई0

चैत्र 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 96/XXXVI(3)/2016/18(1)/2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

"उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016"

(उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08 वर्ष, 2016)

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011" (समय–समय पर यथासंशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए : –

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 57–क का अन्तःस्थापन

मूल अधिनियम की धारा 57 के पश्चात् शीर्षक सहित एक नई धारा 57–क निम्नवत अन्तःस्थापित कर दी जायेगी–

57–क राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति

"राज्य सरकार अधिनियम में उपबन्धित कार्यों के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य कार्यों के निर्वहन हेतु अधिसूचना द्वारा मण्डी बोर्ड को निर्देशित कर सकेंगी।

प्रदेश की मण्डी समितियां रूपये 3.00 लाख तक के कार्य स्थानीय निकाय, विधायक/सांसद निधि एवं जिला पंचायतों की तरह मस्ट्रोल के आधार पर स्वयं करा सकती है।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।